निराकरण — मोटर दुर्घटना और चेक अनादरण समेत लंबित मामलों का समाधान

राजीनामे से 46 परिवार फिर हुए एकजुट

नवभारत, शहडोल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 12 सितंबर को वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय शहडोल सहित सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर में किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काशीनाथ सिंह के मार्गदर्शन तथा नोडल अधिकारी विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) दीपाली शर्मा की उपस्थिति में आयोजित लोक अदालत में कुल 2904 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

इन मामलों में कुल 8 करोड़ 66 लाख 30 हजार 442 रुपए का अवार्ड पारित हुआ। लोक

अदालत के लिए जिले में कुल 22 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया था। इनमें जिला न्यायालय शहडोल में 11, तहसील न्यायालय ब्यौहारी में 4, बुढ़ार में 4 तथा जयसिंहनगर में 3 खंडपीठ शामिल रहीं।

लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर दोनों पक्षों की जीत होती है। मुकदमा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है और सामान्यतः उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं रहता। साथ ही पक्षकारों को वाद शुल्क की वापसी भी होती है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक विवादों में समझौते से कई परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है।

मोटर दुर्घटना के 142, चेक अनादरण के 85 मामले निपटे

लोक अदालत में 752 लंबित प्रकरणों के साथ 2152 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। निराकृत मामलों में मोटर दुर्घटना दावा के 142, चेक अनादरण के 85, आपराधिक राजीनामा योग्य 268, वैवाहिक विवाद के 46 तथा विद्युत विभाग से संबंधित 106 लंबित प्रकरण शामिल रहे। इसके अलावा 2152 प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समाधान किया गया।

कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय शशिभूषण शर्मा, जिला न्यायाधीश विवेक शर्मा सहित न्यायिक अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता परते तिवारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, अभियोजन अधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, पैरालीगल वालेंटियर एवं न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी उपस्थित रहे।

46 परिवारों ने फिर थामा साथ

लोक अदालत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिवारिक विवादों का समाधान रहा। राजीनामे के माध्यम से 46 अलग-अलग परिवारों ने अपने विवाद समाप्त कर पुनः साथ जीवन बिताने पर सहमति जताई। इस दौरान आपसी सहमति से उनके प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगरपालिका, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं बीएसएनएल सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां पक्षकारों को संबंधित मामलों के निराकरण में सहायता उपलब्ध कराई गई।

बाउंड्रीवॉल बनी, चार साल बाद भी नहीं लगा गेट

▶ ग्राम ओढकी में निर्माण कार्य को लेकर उठे सवाल, नक्शा-खसरा से लेकर बिल-वाउचर और सीसी तक जांच की मांग

नवभारत, गोहपारू। जनपद पंचायत गोहपारू अंतर्गत ग्राम पंचायत सगरा के ग्राम ओढकी स्थित विद्यालय में बनी बाउंड्रीवॉल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य लगभग चार वर्ष पूर्व कराया गया था। निर्माण में गेट का प्रावधान होने की बात सामने आने के बावजूद आज तक गेट नहीं लगाया गया है।

बताया जाता है कि उक्त निर्माण कार्य ग्राम पंचायत सगरा में प्रभारी सचिव के रूप में कार्यरत रहे सचिव उदय सोनी के कार्यकाल में कराया गया था। वर्तमान में उनका वहां से प्रभार समाप्त हो चुका है, लेकिन विद्यालय की बाउंड्रीवॉल में गेट नहीं लगने का मामला अब भी जस का तस बना हुआ है।

अभिलेखों की जांच की मांग

ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि मौके पर बनी बाउंड्रीवॉल की भौतिक स्थिति की जांच के साथ निर्माण कार्य से संबंधित नक्शा-खसरा, स्वीकृत एस्टीमेट, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, समस्त बिल-वाउचर तथा सीसी (पूर्णता प्रमाण-पत्र) का परीक्षण कराया जाना चाहिए। जांच में यह भी स्पष्ट किया जाए कि स्वीकृत निर्माण कार्य में गेट के निर्माण का प्रावधान था या नहीं। यदि गेट के लिए राशि स्वीकृत की गई थी तो उसकी राशि का भुगतान किस मद में और किस आधार पर किया गया, इसका भी रिकॉर्ड से मिलान कराया जाए।

मौके की जांच से सामने आएगी हकीकत

ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य को करीब चार वर्ष बीतने के बाद भी विद्यालय में गेट नहीं होना गंभीरता से जांच का विषय है। यदि स्वीकृत कार्य में गेट शामिल था तो उसका निर्माण अब तक क्यों नहीं कराया गया, इसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

शासकीय अभिलेखों का मिलान किया जाये

ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि मामले की मौके पर जांच कराकर निर्माण कार्य और शासकीय अभिलेखों का मिलान कराया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके और यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में जांच कर कब तक स्थिति स्पष्ट करता है।

एक नजर में

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार व उद्यमिता के नए अवसर

नवभारत, शहडोल। भारत सरकार खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय नेहरु युवा केन्द्र माय भारत के ब्लॉक संयोजक पवन केसरवानी ने बताया कि आज के तेजी से बदलते दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल तकनीक और उद्यमिता युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं डिजिटल इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहे हैं। पवन केसरवानी ने कहा है कि युवाओं को केवल पारंपरिक रोजगार के अवसरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट सहित आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अपने कौशल को विकसित करना चाहिए। बदलते समय के साथ तकनीकी दक्षता युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खोल सकती है

कांग्रेस का एक दिवसीय धरना

नवभारत, शहडोल। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय अवास्थी के आदेश अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैरहा दिशा निर्देश में मंडलम करकटी के तत्वाधान में राजेंद्र खदान के गेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाना है जो 1 बजे दिनांक 16 सितंबर दिन बुधवार को आयोजित किया जाना है। समस्त कांग्रेस जन कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खैराहा, मंडलम कांग्रेस कमेटी करकटी द्वारा राजेंद्रा गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिसमे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की गई है। जिसमे कार्यक्रम में ब्लॉक के समस्त कांग्रेस पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मंडलम / सेक्टर अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस, हस्डू, महिला कांग्रेस, सेवादल एवं समस्त कर्मठ कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाए।

रेत चोरों के हौसले बुलंद, वन अमले से छुड़ा ले गए जब्त वाहन

नवभारत, शहडोल। जिले में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई के बावजूद इससे जुड़े लोगों के हौसले कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। सोहागपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम के साथ विवाद और जब्त वाहन को छुड़ाकर ले जाने का मामला सामने आया है। वन अमले ने आरोप लगाया है कि कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ अभद्रता की और उन्हें डंडे से पीटने की धमकी तक दी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी विनायक कुमार गौतम की शिकायत के मुताबिक, वन विभाग की टीम को क्षेत्र में अवैध रूप से रेत परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अमला मौके पर पहुंचा और रेत से लदे एक वाहन को पकड़ लिया। इसी दौरान छेंकलाल यादव, श्रीपत मिश्रा सहित कुछ अन्य लोग वहां पहुंच गए। शिकायत के अनुसार, उन्होंने वन अमले की कार्रवाई का विरोध करते हुए कर्मचारियों से विवाद किया और कथित तौर पर दबाव बनाकर जब्त वाहन को अपने साथ ले गए।

धमकी देने का भी आरोप

वन विभाग की ओर से दी गई शिकायत में कर्मचारियों को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। शिकायत के आधार पर सोहागपुर पुलिस ने छेंकलाल यादव और श्रीपत मिश्रा सहित 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों के साथ अज्ञात लोगों की पहचान और तलाश की जा रही है। घटना ने क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई करने वाले अमले की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अब पुलिस की कार्रवाई और जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

▶ ब्यौहारी क्षेत्र में 1320 किलो महुआ लाहन और 66 लीटर हाथ भट्ठी शराब जब्त

नवभारत, शहडोल। जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में ब्यौहारी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर विभागीय टीम ने बड़ी मात्रा में महुआ लाहन एवं हाथ भट्ठी शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान कुल 1320 किलो महुआ लाहन और 66 लीटर हाथ भट्ठी शराब जब्त की गई।

मामले में 8 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में पापौंध निवासी सुरेश जायसवाल के कब्जे से 5 लीटर तथा केशबाई जायसवाल के पास से 6 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा बरामद की गई। इसी तरह खारी निवासी अमित जायसवाल के पास से 200 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। जमोड़ी निवासी ललिया प्रजापति के कब्जे से 15 किलो महुआ लाहन तथा दीप नारायण प्रजापति के पास से 6 लीटर हाथ भट्ठी मदिरा बरामद हुई। वहीं सरसी निवासी अरुण जायसवाल के कब्जे से 200 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई करते हुए विभागीय टीम ने बड़ी मात्रा में महुआ लाहन एवं हाथ भट्ठी शराब बरामद की।

अवैध निर्माण पर रोक लगाने अभियान

आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। ब्यौहारी क्षेत्र में हुई कार्रवाई को इसी अभियान का हिस्सा बताया गया है। विभाग की टीम द्वारा संदिग्ध स्थानों पर निगरानी के साथ ही अवैध शराब के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।कार्रवाई के दौरान बरामद महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा हाथ भट्ठी शराब को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

राष्ट्रीय कवि संगम की शहडोल इकाई ने आभासी मंच पर मनाया हिन्दी दिवस

▶ मौलिक रचनाओं से हिन्दी प्रेम और साहित्य साधना को किया नमन

नवभारत, शहडोल। राष्ट्रीय हिन्दी दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कवि संगम, शहडोल इकाई द्वारा हिन्दी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान और गौरव की भावना को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से आभासी माध्यम पर काव्यांजलि का आयोजन किया गया। संगम के समूह के माध्यम से आयोजित इस साहित्यिक कार्यक्रम में कवि-कवयित्रियों एवं साहित्यकार सदस्यों ने सहभागिता करते हुए हिन्दी दिवस विषय पर अपनी मौलिक रचनाओं से हिन्दी को भावांजलि अर्पित की। काव्यांजलि में रचनाकारों ने कविताओं, गीतों, दोहों एवं छंदों के माध्यम से हिन्दी की महत्ता, उसकी गौरवशाली साहित्यिक परंपरा, भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों में उसके योगदान तथा राष्ट्र की एकता और चेतना में हिन्दी की भूमिका को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया।

वक्ताओं ने कहा कि अनेक रचनाकार मंचीय चमक-दमक और त्वरित प्रसिद्धि से दूर रहकर भी वर्षों से हिन्दी की साहित्यिक परंपरा को समृद्ध और जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। संगम सदस्यों ने कहा कि हिन्दी की वास्तविक सेवा केवल बड़े आयोजनों और सम्मान समारोहों तक सीमित नहीं है।

घर-घर से जुड़ा साहित्यिक आयोजन

हरितालिका तीज एवं गणेश चतुर्थी के अवसर पर गृह पूजन के बीच सदस्यों ने अपने-अपने घरों से आभासी माध्यम पर सहभागिता की। आयोजन का उद्देश्य हिन्दी दिवस को महज औपचारिक दिवस न बनाकर हिन्दी के प्रति निरंतर प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को जागृत करना रहा। कार्यक्रम में राकसं संरक्षक विंध्य प्रांत मृगेंद्र श्रीवास्तव, रजनीश सोनी, अंजू सिंह, संगीता शुक्ला, किरण सिंह शिल्पी, रवीन्द्र वैद्य, शिवनारायण त्रिपाठी, ओमदत्त ओर्के, अभिषेक श्रीवास्तव, नवनीत शर्मा, प्रयागराज से ॠचा त्रिपाठी, पदम् बेसुरा तथा नवोदित रचनाकार अनिकेत पयासी सहित अनेक कवि-कवयित्रियों ने अपनी मौलिक रचनाओं से हिन्दी प्रेम की अभिव्यक्ति की।

समय पर सेवा नहीं देना पड़ा भारी, 8 अधिकारियों पर लगा अर्थदंड

▶ कलेक्टर पार्थ जायसवाल की कार्रवाई, लंबित प्रकरणों पर लगाया जुर्माना

नवभारत, शहडोल। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत निर्धारित समय-सीमा में नागरिक सेवाओं का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कार्रवाई की है। लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 4 से 9 सितंबर की स्थिति में समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों में 8 पदाभिहित अधिकारियों पर अधिनियम के तहत एकमुश्त अर्थदंड की शास्ति अधिरोपित की गई है। आदेश के अनुसार नायब तहसीलदार वृत्त पपौंध, तहसील ब्यौहारी नरेश सोनी पर 1,000 रुपए, नायब तहसीलदार वृत्त बिजुरी, तहसील जैतपुर रामकिशोर पद्माकर पर 500 रुपए तथा निरीक्षक नाप-तौल विभाग जिला शहडोल एस.के. निगम पर 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसी प्रकार सचिव ग्राम पंचायत बरगवां, जनपद पंचायत बुढ़ार श्याम करण पाव, सचिव ग्राम पंचायत ढोढा, जनपद पंचायत जयसिंहनगर जवाहरलाल पटेल, सचिव ग्राम पंचायत धनौरा, जनपद पंचायत बुढ़ार ब्रजेन्द्र जैसवाल, सचिव ग्राम पंचायत महुआटोला, जनपद पंचायत जयसिंहनगर दिलकरण पाव तथा सचिव ग्राम पंचायत कुम्हेडिन, जनपद पंचायत बुढ़ार चन्द्रशेखर तिवारी पर 500-500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

तीन दिन में चालान जमा करने के निर्देश

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने संबंधित अधिकारियों को अधिरोपित अर्थदंड की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चालान की प्रति तीन कार्य दिवस के भीतर लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

एसईसीएल में तीन दिन सदस्यता सत्यापन

नवभारत, धनपुरी। एसईसीएल के सोहागपुर एरिया की कोयला खदानों में श्रमिक संगठनों की सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर माहौल पूरी तरह गरमा गया है। 14 सितंबर से शुरू होने वाली सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया अगले तीन दिनों तक चलेगी। इस दौरान एरिया की प्रमुख कोयला खदानों में कार्यरत कर्मचारी अपनी पसंद के श्रमिक संगठन के पक्ष में सदस्यता सत्यापन कराएंगे। सदस्यता सत्यापन के नतीजे यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि कर्मचारियों के बीच किस श्रमिक संगठन की पकड़ सबसे मजबूत है।

सोहागपुर एरिया में इस बार मुकाबला चार प्रमुख श्रम संगठनों के बीच माना जा रहा है। इनमें इंटक, हिंद मजदूर सभा, भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ और एटक शामिल हैं। सदस्यता सत्यापन शुरू होने के पहले ही चारों संगठनों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता कर्मचारियों के बीच संपर्क बढ़ाकर अपने पक्ष में अधिक से अधिक सदस्यता सत्यापन कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं।

पहले दिन चार खदानों का सत्यापन

14 सितंबर को सदस्यता सत्यापन की शुरुआत दामिनी, खैरहा, राजेंद्रा बंगवार और अमलाई ओपन कास्ट परियोजना में होगी। इन खदानों में सुबह से ही चारों श्रमिक संगठनों की सक्रियता देखने को मिलेगी। करीब 2000 कर्मचारियों के पहले दिन सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना है। इसके लिए संबंधित खदानों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सदस्यता सत्यापन के दौरान प्रत्येक संगठन की ओर से कर्मचारियों को अपनी यूनियन के पक्ष में सदस्यता संबंधी पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी। कर्मचारी अपनी पसंद के संगठन का चयन करेंगे। यही चयन आगे यह स्पष्ट करेगा कि सोहागपुर एरिया में कर्मचारियों के बीच किस संगठन को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है।

16 से 19 सितंबर तक गूंजेगी बास्केटबॉल की धमक

▶ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 240 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम, चार दिनों में होंगे 48 मुकाबले

नवभारत, शहडोल। जिले में 16 से 19 सितंबर 2026 तक राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। चार दिवसीय आयोजन को लेकर खेल विभाग एवं आयोजन समिति द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। प्रतियोगिता में 120 बालक और 120 बालिका सहित कुल 240 खिलाड़ी सहभागिता करेंगे। खिलाड़ियों के बीच कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों की टीमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हिस्सा लेंगी। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, खेल मैदान तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजन के दौरान प्रतिदिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुकाबले कराए जाएंगे। बालक एवं बालिका वर्ग में टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए मैदान पर उतरेंगी।

राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर

प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। खेल आयोजन से जिले में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगिता को लेकर खेलप्रेमियों में उत्साह है। आयोजन समिति द्वारा खिलाड़ियों एवं टीमों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही प्रतियोगिता को व्यवस्थित और सफल बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। चार दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले युवा खिलाड़ी बास्केटबॉल कोर्ट पर अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को आगे बेहतर अवसर मिलने की संभावना रहेगी।

निरीक्षण — सोहागपुर एरिया में प्रतिदिन 22 हजार टन के आसपास उत्पादन, सुरक्षित तरीके से कोयला निकालने के निर्देश

बरसात थमते ही रफ्तार पकड़ने लगा कोयला उत्पादन

नवभारत, धनपुरी। बरसात का दौर कम होते ही एसईसीएल सोहागपुर एरिया की कोयला खदानों में उत्पादन की रफ्तार एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। बारिश के कारण प्रभावित हुई खनन गतिविधियों के सामान्य होने के साथ ही एरिया की विभिन्न कोयला खदानों में उत्पादन बढ़ने लगा है। वर्तमान में सोहागपुर एरिया की सभी प्रमुख कोयला खदानों को मिलाकर प्रतिदिन करीब 22 हजार टन के आसपास कोयला उत्पादन किया जा रहा है। मौसम की स्थिति अनुकूल रहने पर आने वाले दिनों में उत्पादन की यह रफ्तार और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

बरसात के दौरान कोयला खदानों में उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों पर मौसम का सीधा असर पड़ता है। खदान क्षेत्रों में बारिश, जलभराव और अन्य तकनीकी परिस्थितियों के कारण कई बार उत्पादन की गति प्रभावित होती

है। अब बारिश कम होने के बाद खदानों में कामकाज को गति देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मशीनरी और मैनपावर का बेहतर उपयोग करते हुए उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में गतिविधियां तेज की जा रही हैं।

निरीक्षण में खदानों का लिया जायजा

एसईसीएल सोहागपुर एरिया के महाप्रबंधक बीके जेना द्वारा क्षेत्र की कोयला खदानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान वे खदानों में चल रही गतिविधियों का मौके पर जायजा ले रहे हैं तथा अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों से उत्पादन से जुड़े विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। उनका मुख्य फोकस उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने पर है।

उत्पादन बढ़ाने पर जोर

महाप्रबंधक के निरीक्षण के दौरान खदानों में उपलब्ध संसाधनों, मशीनरी के संचालन, उत्पादन की स्थिति और कार्यस्थल से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी ली जा रही है। जिन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं हैं, वहां आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बरसात के बाद खदानों में परिस्थितियां सामान्य होने के साथ उत्पादन में और तेजी लाने के लिए प्रबंधन स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान उत्पादन की दैनिक स्थिति की समीक्षा के साथ आने वाले दिनों के लिए कार्ययोजना पर भी विचार किया जा रहा है। खदानों में उत्पादन की गति बनाए रखने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और किसी भी तरह की बाधा को समय रहते दूर करने पर जोर दिया जा रहा है।

नियमों का पालन करना जरूरी

कोयला खनन एक संवेदनशील और जोखिमपूर्ण कार्य है, इसलिए उत्पादन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए खदानों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा, मशीनरी के सुरक्षित संचालन और कार्यस्थल की परिस्थितियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रबंधन का प्रयास है कि उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के साथ प्रत्येक कर्मचारी सुरक्षित वातावरण में कार्य करे। बारिश कम होने के बाद खदानों में उत्पादन बढ़ने की जो स्थिति बन रही है, उसे देखते हुए प्रबंधन द्वारा उत्पादन और सुरक्षा दोनों के बीच बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि खदानों में नियमित निगरानी बनाए रखें और किसी भी संभावित जोखिम की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

कोयला उत्पादन को गति देने का प्रयास

इस तरह बरसात के बाद एसईसीएल सोहागपुर एरिया में कोयला उत्पादन को गति देने की तैयारी तेज हो गई है। एक ओर जहां उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने पर जोर है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को लेकर भी प्रबंधन गंभीर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यदि मौसम अनुकूल रहा तो खदानों से कोयला उत्पादन में और वृद्धि देखने को मिल सकती है।

15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक धान उपार्जन पंजीयन अभियान

नवभारत, शहडोल। खरीफविपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा की उपज बेचने के इच्छुक किसानों के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक शहडोल ने किसानों से निर्धारित अवधि में पंजीयन कराने की अपील की है।

किसान अपना नि:शुल्क पंजीयन ग्राम पंचायत, तहसील एवं जनपद स्तर पर स्थापित सुविधा केंद्रों, सहकारी समितियों तथा विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों के अलावा एमपी किसान एप के माध्यम से करा सकेंगे। वहीं एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी साइबर कैफे के माध्यम से शुल्क देकर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इन तहसीलों में बनाए गए पंजीयन केंद्र

समिति स्तर पर नि:शुल्क किसान पंजीयन के लिए जिले में कुल 32 केंद्र स्थापित किए गए हैं। सोहागपुर तहसील में सोहागपुर, छतबई, मझगवां, सामतपुर, सिंहपुर एवं जमुई में 6 केंद्र बनाए गए हैं। बुढार तहसील में बुढार और धनपुरी में 2, जैतपुर तहसील में केशवाही, गिरवा (वलबहरा) एवं चन्नौडी में 3 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह गोहपारू तहसील में गोहपारू (मोहतरा), दियापीपर, खन्नौधी, लफ्दा (देवरी) एवं चुहिरी में 5 केंद्र, जयसिंहनगर तहसील में जयसिंहनगर, ठेंगरहा, अमझोर, बनसुकली, सन्नौसी, सीधी एवं टिहकी में 7 केंद्र तथा ब्यौहारी तहसील में ब्यौहारी, पपरेडी, भन्नी, चचाई, खैरा, देवगांव (खड्डा), पपौढ (तिखवा), सुखाढ एवं रम्पुरवा में 9 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

किसान को पंजीयन केंद्र पर भूमि संबंधी दस्तावेज खसरा बी-1, आधार नंबर, एग्री स्टैक आईडी, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी तथा आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इन दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने के बाद ही किसान का पंजीयन किया जाएगा। जिन किसानों ने अभी तक एग्री स्टैक पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, उन्हें पंजीयन से पहले फार्मर रजिस्ट्री कराकर अपने सभी खसरों को मैप कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही ई-उपार्जन पोर्टल पर किसान पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।